खबर संक्षेप

युवा-संगम रोजगार मेला 16 जून को

मण्डला। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''युवा-संगम रोजगार मेला'' का आयोजन 16 जून को किया जाएगा। यह आयोजन ''जिला रोजगार कार्यालय मंडला, आईटीआई मंडला एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडला'' के संयुक्त तत्वावधान में नगरपालिका मंडला के हॉल में सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा। रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवक-युवतियाँ भाग ले सकेंगे, जिन्होंने कक्षा 8वीं, आईटीआई अथवा स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियाँ उपस्थित रहकर विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी तथा रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर रोजगार मेले में उपस्थित हों। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

ड्यूटी व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन

मण्डला। जिला स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में सूचना आदान-प्रदान एवं समन्वय कार्य के लिए तैनात लोक निर्माण विभाग मंडला के अनुरेखक श्री राजेश कुमार कोष्ठी 15 जून से 17 जून तक अवकाश पर रहेंगे। उनके अवकाश अवधि के दौरान रिजर्व दल से कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मंडला में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री अब्दुल वसीम खान को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कंट्रोल रूम में ड्यूटी सौंपी गई है।

मिलेट क्वीन लहरी बाई ने मंडला के श्री अन्न को दिलाई वैश्विक पहचान

21 देशों के प्रतिनिधियों ने सराहा लहरी बाई को

*** इंदौर में आयोजित ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट 2026 में हुई शामिल।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

मेहनत, नवाचार और परंपरागत कृषि ज्ञान के बल पर मंडला जिले की प्रगतिशील कृषक श्रीमती लहरी बाई आज देश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी हैं। मिलेट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती लहरी बाई ने श्री अन्न (मिलेट) के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देकर जिले के किसानों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गई हैं।

श्रीमती लहरी बाई ने वर्षों पहले कोदो, कुटकी, रागी और अन्य मोटे अनाजों की पारंपरिक किस्मों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने खेतों में विभिन्न देशी बीजों का संग्रह एवं संरक्षण कर न केवल जैव विविधता को बचाया, बल्कि किसानों को भी श्री अन्न की खेती के प्रति जागरूक किया। उनके प्रयासों से अनेक किसान कम लागत और बेहतर पोषण वाले मिलेट उत्पादन की ओर आकर्षित हुए।

हाल ही में इंदौर में आयोजित ''ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट 2026'' में लहरी बाई द्वारा लगाए गए मंडला मिलेट स्टॉल ने देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने विभिन्न मिलेट उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए उनके पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक महत्व की जानकारी साझा की। लगभग 21 देशों के प्रतिनिधियों ने उनके कार्यों की सराहना की और मंडला में मिलेट संवर्धन के प्रयासों को अनुकरणीय बताया।

श्रीमती लहरी बाई का मानना है कि श्री अन्न केवल एक फसल नहीं, बल्कि किसानों की समृद्धि और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य का आधार है। उनके मार्गदर्शन में कई महिला स्व-सहायता समूह और किसान मिलेट आधारित उत्पाद तैयार कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर भी प्राप्त हुए हैं।

आज लहरी बाई की सफलता यह साबित करती है कि यदि परंपरागत ज्ञान को आधुनिक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा जाए तो स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई जा सकती है। उनकी उपलब्धियाँ मंडला जिले के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं तथा श्री अन्न को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

कलेक्टर एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष श्री राहुल नामदेव धोटे की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों के निराकरण एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में एमपीएफआरए पोर्टल पर दर्ज नवीन व्यक्तिगत वनाधिकार दावों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पोर्टल पर दर्ज सामुदायिक वनाधिकार दावों के निराकरण, वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किए जाने संबंधी कार्यवाही तथा प्रपत्र-01, 02 एवं 03 की स्थिति पर भी चर्चा की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों की समीक्षा उपरांत 47 वनाधिकार दावों को मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं 07 दावों को पुनः परीक्षण एवं आवश्यक जांच के लिए संबंधित अनुविभागीय स्तरीय वनाधिकार समिति को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

कलेक्टर श्री धोटे ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के अंतर्गत तैयार किए गए दावों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार अधिनियम का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार एवं शीघ्रता से पूर्ण की जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में वन विभाग के डीएफओ श्री एमएस मौर्य, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती वंदना गुप्ता, श्री रंजीत गुप्ता, समस्त एसडीओ वन तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

आबकारी विभाग की कार्रवाई, 9,600 रुपये की मदिरा जब्त

मण्डला। 11 जून को मण्डला वृत्त अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध विशेष दबिश कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम गाजीपुर स्थित एक होटल की तलाशी में अवैध रूप से मदिरा विक्रय किया जाना पाया गया, जिस पर आबकारी विभाग ने विधिवत प्रकरण दर्ज किया। इसी प्रकार ग्राम पुरवा क्षेत्र के झूला पुल के पास भारती बाई के निवास की तलाशी लेने पर छह कैन किंगफिशर बियर, दो बोतल विदेशी मदिरा तथा एक आधी भरी हुई मदिरा की बोतल बरामद कर जब्त की गई। वहीं सकवाह क्षेत्र में अमित कछवाहा की दुकान से दो बोतल बियर, छह नग देसी प्लेन मदिरा तथा पांच बोतल विदेशी मदिरा बरामद कर जब्त की गई। सभी मामलों में अवैध रूप से मदिरा का विक्रय किए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

आरक्षक आत्महत्या का खुलासा-ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दी जान

*** दो स्टाफ नर्स समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

मंडला जिले के बम्हनी बंजर थाना परिसर में आरक्षक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया है। इस मामले में दो स्टाफ नर्सों और एक नर्स के भाई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, जान से मारने की धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कोरोना के समय बनाई थी नजदीकियां

पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि मृतक आरक्षक सुनील सरयाम (40 वर्ष) के सुसाइड नोट के आधार पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2021 में कोविड काल के दौरान बम्हनी बंजर में तैनाती के समय आरक्षक का स्थानीय अस्पताल की दो स्टाफ नर्सों से संपर्क हुआ था। इसी दौरान आरोपियों ने उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थीं। पुलिस के अनुसार, इन तस्वीरों के आधार पर आरक्षक को कई वर्षों से लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। साथ ही, एक नर्स के भाई द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं। लगातार मानसिक प्रताड़ना और दबाव के कारण आरक्षक ने यह आत्मघाती कदम उठाया।

8 जून को लगाई थी आरक्षक ने फांसी

8 जून को बम्हनी बंजर थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में आरक्षक सुनील सरयाम का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। घटना के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें संबंधित लोगों पर प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

सुसाइड नोट से सुलझी गुत्थी

पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया कि सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के साथ-साथ तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों स्टाफ नर्सों और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

नैनपुर में हुआ हादसा, एंबुलेंस पुलिया से गिरी, एक घायल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। ग्राम सूभेवाड़ा के पास एक 108 एंबुलेंस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एंबुलेंस में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय एंबुलेंस में चालक सहित दो लोग सवार थे। दुर्घटना में चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि दूसरे सवार अमरू को गंभीर चोटें लगी हैं।

हादसे के बाद मौके से गुजर रहे एक बाइक सवार ने दोनों घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल नैनपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद अमरू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

एंबुलेंस में नहीं था मरीज

नैनपुर के बीएमओ डॉ. राजीव चावला ने बताया कि एंबुलेंस मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। उन्होंने पुष्टि की कि चालक को सामान्य चोटें आई हैं, जबकि दूसरे घायल को आगे के उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

मोड़ पर हुआ हादसा

108 एंबुलेंस के सीनियर मैनेजर तरुण सिंह ने बताया मोड़ पर अचानक सामने से कुछ लोग आ गए थे। उन्हें बचाने के प्रयास में एंबुलेंस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की विस्तृत जानकारी स्थानीय स्तर से जुटाई जा रही है। फिलहाल, नैनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

शिविर | **सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शासन की योजनाओं की दी जानकारी।**

जनकल्याण शिविर में सांसद ने सुनीं समस्याएं

*** त्वरित निराकरण के दिए निर्देश।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

जिले के ग्राम पंचायत बिनेका एवं ग्राम पंचायत पोंडीमाल में शुक्रवार को जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा शासन द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

सांसद श्री कुलस्ते ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, आवास, राजस्व तथा अन्य स्थानीय समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। सांसद श्री कुलस्ते ने विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याण शिविर आमजन और प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम हैं, जिनके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही किया जा रहा है।

कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती सोनल सिडाम, जनपद पंचायत मंडला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रतिमा शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई तथा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यालय नगरपालिका परिषद मण्डला

Tele-07642-250705 E-mail-cmo.mandla.mpurban@gmail.com Web site- Nagarpalikamandia.mp-np.in

क्रमाक/रा.शा./2026/1073 — मण्डला, दिनांक 11/06/2026

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका डे-एनयूएलएम शाखा के गेट के बाजू से सागर किराना के पीछे तक प्रथमतल 13 व्यवसायिक दुकानों हेतु रिक्त भूखण्ड एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना जवाहर गंज बाजार श्रीराम लाईब्रेरी (वाचनालय) स्थित व्यवसायिक भूखण्ड क्रं.07, को राईट-ऑफ आक्यूपेशन आधार पर आवंटन हेतु ई-निविदा **Web site-mp tenders.gov.in** दिनांक 29/06/2026 को समय शाम 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त ई-निविदा दिनांक 01/07/2026 को समय दोपहर 12:00 बजे से तकनीकी निविदा फॉर्म एवं दिनांक 02/07/2026 को समय दोपहर 12:00 बजे से फायनेंसियल बिड (दर) खोली जावेंगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक 29/06/2026 को समय 06:00 बजे तक अमानत राशि ऑनलाईन जमाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर नीलामी में भाग ले सकते है।

टेण्डर क्र.	भूखण्ड क्र.	आउटर साईज (मीटर में)	आरक्षण वर्ग	आरक्षित मूल्य	प्रतिभूत निक्षेप (अमानत राशि)	लीज अवधि	वार्षिक (भू-भाटक) किराया
2026_UAD515000_1	1.	3.75 X 5.40	अनारक्षित	10,68,732 रू.	1,06,900 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515003_1	2.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515005_1	3.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515007_1	4.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515008_1	5.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515010_1	6.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515013_1	7.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515014_1	8.	3.65 X 5.40	अनारक्षित	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515015_1	9.	3.65 X 5.40	अन्य पिछड़ा वर्ग	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515018_1	10.	3.65 X 5.40	अनुसूचित जनजाति	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515019_1	11.	3.65 X 5.40	अनुसूचित जाति	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515022_1	12.	3.65 X 5.40	अनारक्षित वर्ग को विधवा महिला के लिये	10,55,124 रू.	1,05,600 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%
2026_UAD515023_1	13.	3.75 X 5.40	अनारक्षित	10,68,732 रू.	1,06,900 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%

द्वितीय ई- निविदा आमंत्रण सूचना

टेण्डर क्र.	भूखण्ड क्र.	आउटर साईज (मीटर में)	आरक्षण वर्ग	टेण्डर क्र.	प्रतिभूत निक्षेप (अमानत राशि)	लीज अवधि	वार्षिक (भू-भाटक) किराया
2026_UAD503918_2	7.	14.84	अन्य पिछड़ा वर्ग	15,19,600 रू.	1,52,000 रू.	30 वर्ष	निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर का 2%

नोटः- 1. इच्छुक निविदादाता निविदा संबंधी नियम व शर्तें **Web site- mp tenders.gov.in** में देखी जा सकती हैं एवं ऑनलाईन ई-निविदा प्रपत्र राशि 2,000 रूपये निर्धारित है। निविदा प्रपत्र केवल **Web site- mp tenders.gov.in** से क्रय किये जा सकते है। 2. नगरपालिका के किसी भी प्रकार के बकायादारों को निविदा प्रपत्र प्रदान नहीं किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति को न0पा0 से जारी कर-बेवाकी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। 3. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में ऑन-लाईन **https://mptenders.gov.in** की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

(विनोद कछवाहा) अध्यक्ष न.पा. परिषद मण्डला

(अखिलेश कछवाहा) उपाध्यक्ष न.पा. परिषद मण्डला

(सुधीर मिश्रा) प्रभारी सदस्य राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग

(गजानन नाफडे) मुख्य नगरपालिका अधिकारी न.पा. परिषद मण्डला

खबर संक्षेप

पॉलीथिन पर शासन का प्रतिबंध दिखाई दे रहा बेअसर, खुलेआम हो रहा उपयोग

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। जहां प्रशासन द्वारा पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुये नगर पालिकाओं से लेकर नगर पंचायतों को उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी बीते हुये वर्ष जारी किये गये थें। मगर लगता है कि शायद वह आदेश नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों सिर्फ मुनादी तक ही सीमित होकर रहे गये है? यह बात जरूर है कि आदेश के कुछ दिनों तक नपा के अधिकारियों को कभी कभार बाजार में निकलकर कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की औपचारिकता जरूर निभाई गई थी। मगर शासन के इस आदेश को नगर पालिका से लेकर तहसील स्तर पर बैठे अधिकारियों द्वारा जिस तरह से नजर अंदाज कर दिया गया है उसका परिणाम है कि बाजार में भी पनी की की बाढ़ आते हुये देखी जाने लगी है तो दूसरी ओर शासन के इस आदेश को नजर अंदाज किये जाने के चलते सक्षम अधिकारियों की उदासीन कार्य प्रणाली उजागर होने से भी नही बच पा रही है? शायद इसी का परिणाम है कि शासन का प्रतिबंध आदेश के बाद भी इस समय लगातार हो रहे पॉलिथिन के उपयोग बेअसर दिखाई देने से नही चूक पा रहा है? स्थिति इस प्रकार से देखी जा रही है कि लोगों द्वारा पॉलीथिन का उपयोग करने में सिर्फ सब्जी भांजी ही नही रखी जा रही बल्कि गर्म चाय तक अब पॉलीथिनों में रखते हुये जहां तहां पहुंचाते हुये देखा जाना निश्चित तौर से जिम्मेदार अधिकारियों की गैर जिम्मेदारानी कार्य प्रणाली को उजागर करने से नहीचूक रहा है। क्योकि पॉलिथिन के उपयोग पर शासन द्वारा पर्यावारण की रक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रतिबंध का निर्णय लिया गया था तो दूसरी ओर हर तहसील से लेकर नगर पालिका हो या फिर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को इस र कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये थें मगर शासन का आदेश मात्र चार दिन की चांदनी फिर .....साबित होने से नही चूक पाया है? यदि पॉलीथिन की सच्चाई पर गौर किया जावे तो अनेक बडे चिकित्सों से लेकर वैज्ञानिको द्वारा बाया जाता है कि पॉलीथिन में रखी हुई गर्म वस्तु जहरीली होने से नही बच पाती है और शायद इसी सोच के चलते शासन द्वारा पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुये कार्यवाही के निर्देश दिये गये थें। मगर इस ओर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नही दिये जाने का परिणाम है कि बाजार में खुलेआम पॉलीथिन का उपयोग होते हुये देखा जा रहा है।

निर्मल ग्रामों के नाम पर हो रही शासन की राशि बर्बाद, कमिशन की आड़ में प्रशासन आंखे हुई बंद

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका। देश को विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए केन्द्र हो या प्रदेश सरकार गांव को साफ सुधरा और हरा भरा बनाने की कवायद में है और इसके लिए शासन प्रशासन निर्मल ग्राम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए समय समय पर गांव को चयानित कर वहां पर लाखो करोड़ो रूपये की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें गांव के प्रत्येक परिवारो के घरो में शौचालय बनाये गये है। मगर उन शौचालयों की सच्चाई शायद ही किसी से छिपी हो क्योंकि शासन की राशि से बने हुए शौचालय यदि अपना एक जन्म दिन मना ले तो बहुत बड़ी बात समझी जावेगी? वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि गांव में पक्की नालियां सड़क और कुडादान व जल स्त्रोतो को साफ सुधरा बनाया जाना है और इसकी देख रेख के लिए जिला स्तर पर हर ब्लाक में अलग से कर्मचारी भी नियुक्त किये गये है। जिन्हे वेतन के रूप में मोटी रकम और भ्रमण करने के लिए वाहन उपलब्ध कराये गये है। लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी अपनी आफिसो में बैठे बैठे ही योजना का संचालन कर रहे है और इसका परिणाम यह देखने में आ रहा है कि गांव में बनायी गई सड़के एक दो वर्षो में ही पूरी तरह उखड़ चुकी है, बनाये गये शौचालय कचरो एवं कूडादानो में तब्दील हो गयी है? कचरा घर टूट गये है, जल स्त्रोतो के समीप हरी घासे एवं दल दल निर्मित हो गयी है।

सीजन की पहली बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत तो किसानों की मूंग फसल को लेकर बढ़ी चिंतायें

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। । हर साल के अनुसार तो यह आषाढ़ माह चल रहा है क्योंकि जून माह आषाढ़ माह के नाम से ही जाना जाता है। मगर तीन साल के अंतराल से अधिमास होने के कारण जेयष्ठ का महिना कहा था जिसके चलते बेषाख माह की तरह बड़ रही गर्मी निश्चित लोगों को हलाकान करने से नही चूक रही थी। वही प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश होने की खबरे तो पड़ी व सुनी जा रही थी। मगर गाडरवारा क्षेत्र में अभी तक पानी नही गिरने से गर्मी का परा मानो पूर्णरूप से सातवे आसमान पर दिखाई दे रहा था। इस तरह गर्मी से परेशान हो रहे लोगों द्वारा शीघ्र ही बारिश होने का इंतजार किया जा रहा था। वह इंतजार शुक्रवार की शाम सीजन की पहली बारिश के चलते लोगों को काफी हद तक जहां गर्मी से राहत मिलते हुये देखी जा रही है। यह बात अलग है कि क्षेत्र में अभी मानसून के आने में तो लगभग एक सप्ताह के बाद भी उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह प्री मानसून की पहली बारिश ने जरूर गर्मी से राहत दिखा दी गई है। मगर उन किसानों को चिंता में डाल दिया गया है कि जिनके खेतों में अभी मूंग फसल कटने के लिये खड़ी हुई है। पचास प्रतिशत किसानों की मूंग कट चुकी है। क्योंकि उनके पास पैसा होने के चलते बडे किसानों द्वारा हार वेस्टर या फिर मंहगेदामों पर मजदूर लगाते हुये मूंग को कटवा लिया गया है। छोटे किसानों के खेतों में अभी मूंग कटने से बाकी रहने के कारण बारिश ने उनके चेहरों पर चिंता की लकीरे खीचने में कोई कसर नही छोड़ी गई है। इस प्रकार बीते हुये शुक्रवार की शाम ठंडक भरी बारिश के चलते नगर के अनेक जगहों पर जल भराव के नजारे देखने मिले। इस सच्चाई को देखते हुये लोग यह बात कहने से नही चूक रहे है कि जब जरा सी बारिश के चलते सड़को पर इस तरह का हाल दिखाई दे रहा है तो जब घनघौर बारिश का दौर शुरू होगा तो क्या हाल बनेगा..? क्योंकि सीजन की पहली बारिश के चलते नगर में जहां तहां जल भराव के नजारे देखने मिली तो दूसरी बारिश का क्रम शुरू होते हुये बिजली बंद होने के चलते लोगों को अंधरे में रहने के लिये मजबूर होते हुये देखा गया। वैसे भी देखा जावे तो हर साल नगर पालिका प्रशासन बारिश के पहले ही अपनी तैयारियों में जुट जाती है और इस समय भी जुटी हुई देखी जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी वैभव देशमुख के प्रयास है कि मानसून आने के पहले नगर की सभी नाले व नालियों की सफाई पूर्ण हो जावे जिससक किसी भी प्रकार से नगरवासियों को कोई परेशानी का सामना करने के लिये मजबूर न होना पड़े। इस प्रकार से देखा जावे तो नगर के अनेक वार्डो की स्थिति भी किसी से छिपी नही है, जहां पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष बारिश का दौर शुरू होने के पहले नालियों की सफाई नही होने के कारण जहां वह चोक पड़ी हुई है। इस स्थिति में बगैर बारिश के ही नालियों का गंदा पानी सड़को पर बहते हुये देखा जा रहा है और बारिश के दौरान यह पानी लोगों के घरो के अंदर पहुंचने से नही चूक पाता है। यदि समय रहते हुये इस ओर ध्यान नही दिया गया तो निश्चित तौर से आने वाली दिनों में घनघोर बारिश का दौर चलेगा उस दौरान नगर की भयानक स्थिति निर्मित होने से नही बच पायेगी और नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में भरने के कारण अनेक प्रकार की नई बीमारियाँ जन्म लेते हुये देखी जावेगी? कुछ इसी प्रकार का हाल बिजली विभाग की व्यवस्थाओं का भी देखने मि रहा है। क्योंकि बारिश के पूर्व बिजली लाईनों के सुधार कार्य तथा तारों के ऊपर लटकते हुये पेड़ो की डालियों को हटाने के नाम पर कुछ दिनों पहले बिजली विभाग द्वारा निर्धारित समय के लिये विद्युत अपूर्ति बंद करते हुये सुधार कार्य किया गया है। मगर इसके बाद भी बारिश का दौर शुरू होते हुये बिजली बंद होने के बाद कई घंटो तक नही आना निश्चित तौर से बिजली विभाग की उदासीनता या फिर सुधार कार्य के नाम पर मात्र औपचारिकता निभाने का परिणाम प्रतीत होने से नही चूक रहा है। क्योंकि बीते हुये शुक्रवार की शाम को सीजन की पहली बरसात हुई जिसे अभी सही मायने में यह नही कहा जा सकता है कि मानसून ने दरबाजे खटखटाने की शुरूआत कर दी गई है। क्योंकि मौसम विभाग के जानकारों के अनुसार तो अभी मानसून की आमद के लिये कुछ दिनों का और इंतजार किये जाने की बात कही जा रहा है। मगर जिस तरह शुक्रवार की शाम प्री- मानसून के रूप में लगभग एक घंटे हुई बारिश के चलते बिजली बंद रहने के कारण बिजली विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुये देखी जा रहा है। अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि जब मानसून अपने पूर्ण शबाब पर आकर अपनी आमद देगा जब क्या स्थिति निर्मित होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है..? इस तरह सीजन की पहली बारिश के चलते लोगों को जहां गर्मी से राहत महसूस होते हुये देखी जा रही है तो दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर भी मूंग फसल को लेकर चिंता की लकीरे आने से नही चूक रही है। यह बात अलग है कि जिन किसानों के खेतों में लगी हुई मूंग फसल कटने के बाद किसानों द्वारा अब अपने खेतों में धान रोपने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। मगर चल रहे जून माह का लगभग एक पखबाड़ा बीतने को है और सूरज की तपन बैशाख माह की तरह अपना रूद्र रूप दिखाते हुये किसानों को चिंता में डालने से नही चूक रहा था। सीजन की पहली वारिश का क्रम तो कमजोर ही देखने मिला है। मगर उम्मीद है कि आने वाली दिनों में झमाझम बारिश के नजारे दिखाई देने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है...?

मंडी में किसानों की मूंग की कम दर पर खरीदी होने के चलते आक्रोशित किसानों ने किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। इस समय देखा जा रहा है कि माटी पुत्र किसान चारो ओर परेशानियों से जूझते हुये देखा जा रहा है। क्योंकि रात दिन एक करते हुये तेज तपन के बीच उन्होने अपनी मूंग फसल को तैयार किया गया है। मगर सरकार द्वारा मात्र 25 प्रतिशत ही मूंग खरीदने के निर्णय के चलते जहां किसानों को अपनी मूंग को मंडी में विक्रय करने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है। मगर मंडी में व्यापारियों द्वारा जिस तरह किसानों की मूंग की बोली लगाई जा रही है उससे किसानों द्वारा मूंग तैयार करने के लिये लगाई गई अपनी लागत तक खड़ी नही होने की स्थिति में आक्रोश फैलते हुये देखा जा रहा है। बीते हुये शुक्रवार को क्षेत्र के किसान अपनी मूंग फसल का विक्रय करने के लिये जब मंडी पहुंची तो वहां पर उनकी मूंग फसल की कम ज्यादा यानि की पक्षपात तरीके से बोली लगने के चलते किसान आक्रोशित हो गये और मंडी गेट के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने से नही चूके। इस तरह मंडी में किसानों के आक्रोश की खबर लगते हुये मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उन्हें समाईश देते हुये शांत कराया गया। इस तरह चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की परवाह किए बिना सैकड़ों किसान सड़कों पर लामबंद हो गए। किसानों का यह उग्र प्रदर्शन मूंग की खरीदी में हो रही कथित मनमानी, कम दाम मिलने और प्रशासन व व्यापारियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ किसानों के इस प्रदर्शन के चलते जहां चकाजाम जैसी स्थिति निर्मित होने से नही चूक पाई थी वही दूसरी ओर दोनों ओर वाहनों की लम्बी लाईने लगी हुई दिखाई पड़ी। किसानों का कहना है कि जहां उनकी मूंग फसल का मंडी में सही दाम नही मिल पा रहा है तो दूसरी ओर किसानों को पेट्रोल पंपों पर डीजल नही मिल रहा है। सरकार एक ओर डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ाते चली जा रही है। इस स्थिति में कृषि कार्य की संपूर्ण सामग्री महंगी होती चली जा रही है तो दूसरी ओर हाल यह बना हुआ है कि डीजल नही मिलने के कारण खेती के सभी कार्य प्रभावित होने से नही बच पा रहे है। इस स्थिति में सबाल यह पैदा हो रहा है कि आखिरकार किसान अपनी खेती का कार्य कैसे पूरा कर पायेगे। क्योंकि इस समय जहां अन्नदाता अपने खेतों में तेज धूप के बीच मूंग की कटाई करते हुये देखा जा रहा है तो दूसरी ओर मंडी में लूटने के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर डीजल के लिये लाईनों में खड़ा नजर आने से नही चूक रहा है।

कलेक्टर ने लगाया नदी नालों में मछली मारने पर प्रतिबंध, क्या जिला अधिकारी के इस आदेश का पालन हो पायेगा....?

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को बनाये रखने के उद्वेश्य से जिला दंड अधिकारी द्वारा आये दिन आदेश जारी तो किये जाते है। मगर उनके आदेश को पालन होते हुए कही दिखाई नही दे रहा है.., जिसके चलते जहां जिला अधिकारी के आदेश चर्चा का विषय बनने से नही चूक पाते है..? क्योंकि बीते हुये कुछ माह पहले जिला दंड अधिकारी द्वारा गर्मी के मौसम में जमीन के अंदर जल के स्तर में कमी आने की बात को ध्यान में रखते हुये नये नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा गया था। मगर इस आदेश का शायद ही कही पालन होते हुये देखा गया हो..? क्योंकि नये नलकूप खनन पर प्रतिबंध अवधि के दौरान जहां तहां नलकूपों का खनन होते हुये देखने मिलने के बाद भी किसी तरह क्यों कार्यवाही न होना चर्चा का विषय बनने से नही चूक पाया है..? अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि इस तरह मत्स्याखेट पर लगाये गये प्रतिबंध आदेश का क्या पालन हो पायेगा...? खैर इस सच्चाई का पता तो आने वाले दो माह में ही चल पायेगा। क्योंकि हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला कलेक्टर द्वारा नदी नालों में मछली मारने पर 16 जून से 15 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि प्रदेश में नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्यखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि बंद ऋतु की अवधि में जिले में अवैधानिक मत्स्याखेट/ परिवहन/ क्रय- विक्रय आदि कार्य करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र मत्स्योद्योग अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी। शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि पर उसे एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रूपये तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। बताया जाता है कि बंद ऋतु की अवधि में जिले में अवैधानिक मत्स्याखेट/ परिवहन/ क्रय- विक्रय आदि कार्य करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र मत्स्योद्योग अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी। शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि पर उसे एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रूपये तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में म.प्र नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 की उप धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस बंद ऋतु अवधि में मत्स्याखेट पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा तथा इस अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य क्रय. विक्रय करना पूर्णरूप से निषेध रहेगा। प्रदेश शासन के मछली पालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है तो उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघन कर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार से जिला कलेक्टर ने उपरोक्तानुसार अधिसूचना जारी करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से सर्व संबंधितों एवं मछली व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों को सूचित किया है कि वे इस अवधि में किसी प्रकार का अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य क्रय. विक्रय न करें और ना ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें, अन्यथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध शासन के नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। बाजार हाटों में उक्त अवधि में मत्स्य विक्रय पूर्ण प्रतिबंधित रखने के निर्देश संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये गये हैं। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

भीषण महंगाई के दौर में माध्यमवर्गी लोगों को आशियाने बनाना हुआ मुश्किल, प्लाटों की कीमत छू रही आसमान

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। समय के चल रहे मंहगाई के कुचक्र से बाजार में मूलभूत आवश्यकता की चीजों के दाम बढ़ने से शहर के निवासियो की जिन्दगी की मिठास जहां खत्म होती जा रही है, वही सीमेंट, लोहा, इमारती लकड़ी, रेत, गिट्टी, के दाम स्थिर न रहने से गरीब तो दूर मध्यवर्गीय लोगों का अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाने का सपना चकनाचूर हो रहा है। गौरतलब है कि शहर में मौजूदा दौर में मकान निर्मित करने के लिए उपयुक्त जमीनो की कीमतें आसमान छू रही है, जिसके चलतें अधिकतर नौकरी पेशा और साधारण स्थिति के लोगों के लिए अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदना आसान नहीं रहा है । उधर,आलम यह है कि जिन व्यक्तियों ने पूर्व में अपने मकान बनाने के सपने सॅजोकर नगर में प्लाट खरीद रखे है तो दूसरी ओर उनकी कीमत तो लगातार बढ़ रही है। किंतु निर्माण सामग्री, मजदूरी महँगी होने और अन्य समस्याओं के आडे आने के कारण फिलहाल उनकी मकान बनाने की हिम्मत नही हो रही है और इन खाली पड़े प्लाटो में कचरे के अम्बार लगे नजर आ रहे है? ज्ञातव्य है कि सेवा निवृत्ति के कगार पर आए शासकीय कर्मचारियो, गांवो से शहर में आए हुए लोगों के साथ साथ किसानों और गरीबों की हसरत रहती है कि वह अपने बच्चों के लिए शहर में बेहतर मकानों का निर्माण करायें। किंतु विडम्बना की बात है कि भीषण होती जा रही महँगाई उनके आशियाने बनाने के अरमानो को मटिया मेट कर रही है। सच्चाई पर गौर किया जावे तो शहर में जमीनों, मकानों की निर्माण सामग्री के दाम में लगातार बढ़ोत्तरी का सिलसिला लगभग 15 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसके रूकने का नाम न लेने का ही परिणाम है कि हाईटेक दौर में अधिकतर शहरवासी अपनी आने वाली पीढ़ी को नए मकान का उपहार नही दे पा रहे है..? वही जागरूक शहरवासियों का कहना है कि शहर में शासकीय विभागों की बेशकीमती जमीनो पर अतिक्रमण होने से जरूरत मंद व्यक्ति नजूल, नपा.आबादी, लोक निर्माण विभाग की जमीन पर मकान बनाने के लिए मजबूर देखे जा रहे है? साथ ही युवा पीढी की पसंद आधुनिक डिजाईन के मकान बन गए, इस स्थिति शहर में पुराने मकान तो बिके पर नए मकान बनाने के लिए जगह तलाशना मुश्किल हो गया, नगर में मकान बनाने के लिए भूखंडो का अभाव होने से चिंतित अधिकतर शहर के वाशिन्दो का कहना है कि शहर की आबादी बढ़नें से नगर सीमेंट, कांक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है हर शख्स चाह रहा है कि वह अपना अपने व बच्चों के लिए नया मकान बनाये मगर मकान बनाने उसे एक सपने के समान ही जान पड़ रहा है, इस बात का नतीजा है कि क्षेत्र में एनटीपीसी पावर प्लांट लगने और क्षेत्र में नयी औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित होने की आहट मिलने से जमीनो के दाम बढ़ रहे है तथा अधिकांश लोगो के मकान बनाने के सपने अधर में लटके है।

ओवर लोडिंग वाहन बन रहे दुर्घटनाओं का कारण, पुलिस द्वारा किया जा रहा नजरअंदाज

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका। क्षेत्र में आये दिन घटित होने वाली घटनाओं को लेकर यदि गौर किया जावे तो क्षेत्र की सड़कों पर जिस प्रकार से ओवर लोडिंग वाहनों की धमाचौकड़ी मची हुई देखी जा रही है वह सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण साबित होने से नही चूक पा रहे है, जबकि सच्चाई पर गौर किया जावे तो आये दिन पुलिस प्रशासन द्वारा ओवर लोड्गि वाहनों सहित नियम विरूद्व वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की बात तो कही जाती है, मगर सड़को पर इस प्रकार से दौड़ने वाहन ओवर लोडिंग वाहनों को नजर अंदाज किया जाना निश्चित ही पुलिस की उदासीन कार्य प्रणाली को उजागर करने से नही चूक पाता है? क्योंकि इस समय क्षेत्र की सड़कों पर जिस प्रकार से डेयरी संचालन करने वालों द्वारा ट्रेक्टर ट्रालियों में भूसा ढोने का कार्य किया जा रहा है उन ट्रालियों में भूसा भरने के लिये वह सभी नियमों का दर किनार करते हुये जिस प्रकार से भरते हुये देखे जा रहे है उसके चलते जब भूसा भरा हुआ यह वाहन मुख्य सड़को से गुजरता है तो वह पूरे मार्ग के यातायाता में व्यवधान पहुंचाने में जहां कोई कसर नही छोड़ता है, वही दूसरी ओर ओवर लोडिंग स्थिति में भरे हुये इस वाहन को यदि कोई अन्य वाहन चालक ओवर टेक करते हुये आगे निकलने का प्रयास करता है तो उसे सामने से आने वाला वाहन दिखाई देता ही नही और जिसके चलते बड़ी घटनाएं घटित होने से नही चूक पाती है, क्षेत्र की सड़कों पर इस प्रकार से ओवर लोड स्थिति में भूसा ले जाने वाले वाहनो के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिये, मगर पुलिस प्रशासन इस ओर किसी भी प्रकार से ध्यान नही दिये जाने का परिणाम है कि आम लोगों की जिन्दगी खतरे में पड़ने से नही चूक पा रही है।

मौसम के बदले मिजाज ने किसानों को डाला हैरत में, मूंग फसल को सुरिक्षत करने में रात दिन एक करते हुये जुटा हुआ देखा जा रहा है क्षेत्र का अन्नदाता

हरिभूमि न्यूज/चीचली। दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान की परेशानियों को शायद ही कभी कोई नही समझ पता है क्योंकि जब किसान अपने खेतों में बोनी करने की शुरूआत करता है तो उसे जरूरी सामग्री प्राप्त करने के लिये भूखे प्यासे रहकर लम्बी लम्बी लाईनों में खड़ा रहने के लिये मजबूर होते हुये देखा जाता है। मगर इसके बाद जब वह किसी भी प्रकार से अपने खेतों में फसल को लगा चुका होता है तो उसमें लगने वाले अनेक प्रकार की कीटों से बचाव को लेकर मंहगी से मंहगी दबाईयों का छिडकाव करने के लिये पैसा नही रहता है तो कर्ज उठाते हुये अपनी फसल की रक्षा के चलते कर्जदार बन जाता है और उसकी खेत में फसल तैयार होकर कटने की स्थिति में पहुंचती है तो प्रकृति की मार अन्न दाता का पीछा नही छोड़ती है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय भी देखने मिल रही है। लगातार प्रकृति की मार झेलते हुये किसानों द्वारा सूरज की तेज तपन का सामना करते हुये अपने खेतों में मूंग फसल इस उम्मीद के साथ लगाई गई थी कि इस वर्ष शायद किस्मत उनका साथ दे देगी और वह जूझ रहे आर्थिक तंगी से निजात पा जावेगे और इसी सोच के चलते मूंग फसल की सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा काफी लगात भी लगाई गई थी जिसके चलते मुश्किलों के बीच तैयार हुई मूंग फसल इस समय किसानों के खेतों में कटने की तैयार हो चुकी है। मगर अचानक मौसम के बिगडते बनते हुये मिजाज ने किसानों को परेशानी में डाल दिया गया है। क्योंकि देखा जाता है कि आये दिन अचानक तेज हवा और आसमान में छाने वाले बादलों ने निश्चित अन्नदाताओं की रातों की नींद गायब कर दी है और इसी के चलते इस समय सूजर की तेज तपन की चिंता न करते हुये किसान अपने खेतों में खडी हुई मूंग फसल को सरक्षित घर लगाने की तैयारी में जुटा हुआ देखा जा रहा है..? इस तरह किसानों को मूंग फसल की कटाई से लेकर घर तक लाने के लिये काफी लगात लगाना पड़ रही है। क्योंकि दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के बीच किसानों के लिये हर कार्य महंगे दामों में कराना पड़ रहा है और वह दिन रात अपने खेतों में नजर आते हुये मूंग फसल की कटाई में जुटा हुआ देखा जा रहा है? अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि इस तरह रात दिन एक करते हुये किसानों द्वारा तैयार की गई मूंग फसल को यदि सरकार द्वारा पूर्णरूप् से समर्थन मूल्य पर नही खरीदा गया तो निश्चित तौर से किसान व्यापारियों को अपनी मूंग ओने पोने दामों में विक्रय करने के लिये मजबूर हो जावेगे और इससे उनके द्वारा इस फसल को तैयार करने में लगाई गई लगात प्राप्त करना भी मुश्किल हो जावेगा...?

पानी टंकी क्षेत्र में कुत्तों के चलते सड़क दुर्घटनाओं बन रही संभावना...?

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। लोग अपने घरों में दूध खाने के लिए जिस प्रकार से पालते है, मगर उनकी देख रेख करने की जगह नगरवासियों को परेशानी शानी पैदा करने छोड़ देते है? पशु मालिक दूध निकालकर दुधारू पशु को अपने घर से डण्डा मारकर बाहर निकाल देते है जियके चलते शाम होते ही शहर के मुख्य मार्गो में आवारा पशुओं का जमघट लगा रहता है। वही दूसरी ओर इस समय पशुओं के साथ साथ सड़को पर उमड़ने वाली कुत्तो की भीड़ भी सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने से नही चूक रही है। मुख्य रूप से देखा जावे तो नगर की पानी टंकी के पास शाम होते ही जिस तरह आवारा कुत्तों का झुंड भ्रमण करते हुये देखा जाता है। इस स्थिति में यह कुत्ता वाहन चालकों के पीछे भोकते हुये पीछा करने से नही चूकते है। इस तरह जब अचानक कुत्ता किसी बाइक के पीछे दौड़ते है तो बाइक चालक घबराने की स्थिति में अपना नियंत्रण खोते हुये दुर्घटना का शिकार होने से नही बच पाता है...? इसी का परिणाम है कि आये दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे है। इस प्रकार से आवारा पशुओं सहित कुत्तों का इन दिनों सड़कों में जाम लगना आम बात हो गई है और आमलोग जाम से तंग आ चुके है। क्योंकि इन जानवरों को हटाये जाने को लेकर न तो प्रशासन गंभीर दिख रहा है और न ही पशु मालिक, ऐसे में आम नागरिको को काफी कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है।

खबर संक्षेप

जनकल्याण शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़ 78 आवेदनों पर कार्रवाई

डिंडोरी। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद डिंडोरी परिसर में 12 से 14 जून 2026 तक आयोजित जनकल्याण शिविर.2026 का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं।शिविर के प्रथम दिवस नागरिकों का उत्साह देखने को मिला। विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 78 आवेदन प्राप्त हुएए जिन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। वहीं 56 पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें लाभान्वित किया गया।

शिविर के दौरान नागरिकों को स्वच्छता व्यवस्थाए पेयजल आपूर्तिए राजस्व प्रकरणोंए सामाजिक सुरक्षा पेंशनए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया।कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेतामए अशोक अवाधियाए नरेंद्र राजपूतए आशीष वैश्यए महेश धूमकेतीए सुधीर तिवारीए सुरेंद्र दुबेए डिंपल दीक्षित सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।मुख्य नगर पालिका अधिकारी रीना राठौर ने बताया कि जनकल्याण शिविर का उद्देश्य शासन और प्रशासन को आमजन के और अधिक निकट लाते हुए नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा ऐसे शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा जनसमस्याओं के समाधान का कार्य निरंतर किया जा रहा है।जनकल्याण शिविर ने एक बार फिर यह साबित किया है कि प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

अनूपपुर जिले के स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन समय में आंशिक संशोधन किया गया है। यह आदेश 11 जून से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत जिले के जो विद्यालय दो पालियों में संचालित हो रहे हैं, उनकी प्रथम पाली का समय अब प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष सभी एकल पाली वाले सामान्य विद्यालय शासन के नियमानुसार अपने पूर्व निर्धारित समय यानी सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्कूल समय में इस परिवर्तन से शासन द्वारा पूर्व से घोषित परीक्षाओं और अन्य आवश्यक कार्यक्रमों की समय-सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

रक्तदान शिविर के माध्यम से दिया गया मानव सेवा का संदेश

जन कल्याण शिविरों का शुभारंभ, पात्र हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

डिंडौरी। केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 12 से 18 जून 2026 तक जनकल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भादौरिया के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में आयोजित इन शिविरों का शुभारंभ शुक्रवार को जिला पंचायत एवं नगर परिषद डिंडौरी में किया गया। शिविरों का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक ओमप्रकाश धुर्वे एवं कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भादौरिया द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।जिला पंचायत डिंडौरी परिसर में आयोजित जनपद पंचायत डिंडौरी के तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 90 सम्बल पंजीयनए 15 श्रमयोगी मानधन एवं 10 राजस्व संबंधी आवेदन शामिल रहे। वहीं आजीविका मिशन के अंतर्गत पांच प्रकरणों में 18 लाख रुपए की सीएलएफ राशि वितरित की गई।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि जिले के सभी विकासखंडों में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों के माध्यम से दिव्यांग प्रमाण पत्रए आयुष्मान कार्डए किसान क्रेडिट कार्डए आधार कार्डए समग्र आईडी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा एयर एम्बुलेंस सुविधा के माध्यम से गंभीर मरीजों को भोपाल भेजकर उपचार उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भादौरिया ने कहा कि शिविरों में प्रत्येक विकासखंड की दो पंचायतों को शामिल कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से अपील की कि वे पात्र लोगों को शिविरों तक लाकर शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराएं।इस अवसर पर जिला पंचायत परिसर में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भादौरिया तथा जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। शिविर में रेडक्रॉस सभापति नरेंद्र सिंह राजपूतए कोषाध्यक्ष सचिन जैनए सदस्य आशीष वैश्य एवं सुधीरदत्त तिवारी सहित अन्य लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया।

जनकल्याण शिविर एवं रक्तदान शिविर के माध्यम से एक ओर पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिलाए वहीं दूसरी ओर समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया गया।कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेतामए जनपद अध्यक्ष आशा सिंहए जिला पंचायत सदस्य हीरा रूद्रेश परस्तेए रेडक्रॉस सभापति नरेंद्र सिंह राजपूत सहित अनेक जनप्रतिनिधिए सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भादौरियाए जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरीए संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावीए जनपद सीईओ प्रमोद ओझाए तहसीलदार शंशाक शेंडे सहित अन्य अधिकारी.कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में लगभग 700 ग्रामीणों ने सहभागिता की।

तेज आंधी तूफान से गरीब परिवार का आशियाना उजड़ा, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर

शहपुरा। शुक्रवार शाम आए तेज आंधी.तूफान और बारिश ने क्षेत्र में व्यापक असर डाला। कई स्थानों पर पेड़.पौधे एवं मकानों को नुकसान पहुंचाए वहीं शहपुरा विकासखंड के ग्राम टिकरिया माल में एक गरीब परिवार का आशियाना प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया। तेज हवाओं के कारण मकान की सीमेंट शीट से बनी पूरी छत उड़ गईए जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है।जानकारी के अनुसार ग्राम टिकरिया माल निवासी इंद्रलाल झारिया का मकान शुक्रवार शाम अचानक आए आंधी.तूफान में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तेज हवाओं के चलते मकान पर लगी सीमेंट शीट उखड़कर दूर जा गिरींए जिनमें से कई शीट टूटकर क्षतिग्रस्त हो गईं। छत उड़ जाने के बाद बारिश का पानी सीधे घर के भीतर पहुंच गयाए जिससे घर में रखा अनाजए कपड़े एवं अन्य घरेलू सामान भीगकर खराब हो गया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। अचानक छत उड़ने से अफरा.तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि सौभाग्यवश इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या शारीरिक चोट नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परिवार के सदस्य समय रहते सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था।पीड़ित इंद्रलाल झारिया ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपने स्तर पर क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा हैए जिससे परिवार के सामने आवास और दैनिक जरूरतों की समस्या खड़ी हो गई है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का सर्वेक्षण करे तथा शासन की आपदा राहत योजना के तहत पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सरकारी मदद के हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है।फिलहाल पीड़ित परिवार राहत सहायता की उम्मीद लगाए प्रशासन की ओर देख रहा है और शीघ्र मदद मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है।

कोटरई पंचायत का पटाखा बिल बना बड़ा सवाल भुगतान प्रक्रिया और ऑडिट व्यवस्था पर उठे गंभीर प्रश्न

मेहंदवानी। जनपद पंचायत मेहंदवानी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटरई के वर्ष 2023.24 के वित्तीय अभिलेखों में दर्ज एक बिल ने पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार ष्मां नर्मदा मटेरियल सप्लायरए मेहंदवानीष के नाम से लगभग 4ए440 रुपये के पटाखों की खरीदी का बिल भुगतान अभिलेखों में दर्ज है।मामले की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जिस फर्म के लेटरहेड पर यह बिल जारी किया गया हैए उसमें व्यवसाय के रूप में रेतए गिट्टीए सीमेंटए मुरूमए पत्थरए बोल्डरए दरवाजेए खिड़कियां एवं अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई का उल्लेख है। ऐसे में निर्माण सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म के नाम पर पटाखों की खरीदी दर्ज होना स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न खड़े कर रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संबंधित फर्म पटाखों का विक्रय भी करती है तो उसके पास विस्फोटक सामग्री के भंडारण और विक्रय से संबंधित वैध लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही जीएसटी एवं अन्य व्यापारिक दस्तावेजों में भी इस प्रकार के व्यवसाय का उल्लेख होना आवश्यक है। ग्रामीणों ने संबंधित फर्म के लाइसेंस और जीएसटी रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।मामला केवल फर्म तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि ग्राम पंचायत ने पटाखों की खरीदी किस उद्देश्य से की और यह भुगतान किस मद से किया गया। पंचायत निधि का उपयोग सामान्यतः विकास कार्यों एवं जनहित की स्वीकृत गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसे में पटाखों की खरीदी के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया गया था या नहीं तथा भुगतान किस आधार पर स्वीकृत हुआए यह जांच का विषय है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों के वित्तीय भुगतान विभिन्न प्रशासनिक स्तरों की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऐसे में यदि बिल में स्पष्ट रूप से पटाखों का उल्लेख था तो जनपद पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की जांच के दौरान इस पर आपत्ति क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही पंचायतों में प्रतिवर्ष होने वाले विभागीय ऑडिट और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है।ग्रामीणों का तर्क है कि यदि वित्तीय अभिलेखों की नियमित समीक्षा और सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी ढंग से किया जाता है तो इस प्रकार की प्रविष्टियां प्रारंभिक स्तर पर ही चिन्हित हो जानी चाहिए थीं। इसके बावजूद मामला अभिलेखों में दर्ज रहाए जिससे निगरानी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत कोटरई के वित्तीय अभिलेखोंए भुगतान आदेशोंए वाउचरोंए जीएसटी दस्तावेजों तथा ऑडिट रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भुगतान नियमों के अनुरूप किया गया था अथवा किसी स्तर पर प्रक्रियागत त्रुटि या अनियमितता हुई है।फिलहाल यह मामला केवल एक भुगतान बिल का नहींए बल्कि पंचायतों में वित्तीय जवाबदेहीए दस्तावेजों के सत्यापन और ऑडिट प्रणाली की प्रभावशीलता पर उठते सवालों का विषय बन गया है।

राखीमाल में विकास कार्यों का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष ने किया भूमिपूजन

शहपुरा। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत राखीमाल में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाले निर्माण कार्यों का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रियंका आर्मो ने रंगमंच एवं नाली निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन कर कार्यों की शुरुआत की।इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष प्रियंका आर्मो ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा गांव के समग्र विकास को गति मिलेगी।उन्होंने बताया कि रंगमंच निर्माण से सामाजिकए सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थायी मंच उपलब्ध होगा। वहीं नाली निर्माण कार्य से जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और गांव में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।कार्यक्रम में जनपद सदस्य दुर्गी उद्देए सरपंचए उपसरपंचए सचिवए रोजगार सहायकए पंचगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय.सीमा में पूर्ण किए जाने की अपेक्षा जताई।जनपद अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा और जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निरंतर बनी रहेगी। ग्रामीणों ने भी पंचायत में शुरू हुए विकास कार्यों का स्वागत करते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

एक्सपायरी सामग्री नष्ट रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस

डिंडोरी। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर 6 जून को करंजिया विकासखंड के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानोंए होटलोंए रेस्टोरेंटों एवं किराना दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया।जांच के दौरान बृजेश किराना स्टोर में टोस्टए बेली सुपारी एवं स्वीटी सुपारी की एक्सपायरी सामग्री पाई गईए जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं काली मिर्च और घी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। इसके अलावा शुभ ट्रेडर्सए राजेन्द्र कुमार साहू गल्ला फर्म तथा मां शारदा किराना स्टोर से हल्दी पाउडरए मिर्च पाउडर एवं खाद्य तेल के नमूने लेकर परीक्षण हेतु भेजे गए।निरीक्षण के दौरान अमरकंटक रोड स्थित मां नर्मदा रेस्टोरेंट एवं कैफे में स्वच्छता संबंधी गंभीर खामियां सामने आईं। किचन की दीवारोंए छत और फर्श पर गंदगी जमा मिली तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव पाया गया। इसे स्वास्थ्य के लिए गंभीर मानते हुए संचालक को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया।पाटनगढ़ स्थित बजरंग रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया गयाए जहां आवश्यक सुधार के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमए 2006 तथा संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण दल ने खाद्य कारोबारियों को साफ.सफाई बनाए रखनेए भोजन निर्माण में उपयोग होने वाले पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने तथा फ्रिज और बर्तनों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह तेकाम ने बताया कि मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। साथ ही उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अवश्य जांचने की अपील की गई है।

वर्षा पूर्व तैयारियों में जुटा नगर परिषद डिंडौरी, सीएमओ ने किया नाला सफाई कार्यों का निरीक्षण

डिंडौरी। आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनजर नगर परिषद डिंडौरी द्वारा जलभराव की समस्या से निपटने एवं बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर अंजू पवन भादौरिया के निर्देशन तथा नगर परिषद अध्यक्ष के निर्देशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी ;सीएमओद्ध रीना राठौर ने शुक्रवार को नगर क्षेत्र में संचालित नाला सफाई एवं कचरा निष्पादन कार्यों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने वार्ड क्रमांक 9 में चल रहे नाला सफाई कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा प्रारंभ होने से पहले नगर के सभी प्रमुख एवं सहायक नालों की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाएए ताकि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो और नागरिकों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े।सीएमओ रीना राठौर ने स्वच्छता कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि नगर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर लंबे समय से जमा कचरे के ढेरों को हटाकर उनका वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन किया जा रहा है।उन्होंने मौके पर मौजूद अमले को निर्देशित किया कि सफाई कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा वर्षा ऋतु पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाएं। सीएमओ ने नगरवासियों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर नगर के निर्माण में आमजन की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालने तथा स्वच्छता बनाए रखने में नगर परिषद का सहयोग करने का आग्रह किया।निरीक्षण के दौरान स्वच्छता प्रभारी अनिकेत बैसए कार्यालय अधीक्षक आशीष कोरीए समाजसेवी अजय बर्मन सहित नगर परिषद का अमला उपस्थित रहा।नगर परिषद प्रशासन द्वारा वर्षा ऋतु पूर्व तैयारियों को गति देते हुए नाला सफाईए कचरा निष्पादन एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है।

खबर संक्षेप

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 को

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। 12 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में नरसिंह मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने आयोजित कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों को नियुक्त किया है। कार्यक्रम स्थल पर दरी, गद्दे, चादर, सौफा एवं सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर, मंच संचालन व्यवस्था, अतिथि स्वागत एवं कार्यक्रम स्थल पर कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के उपस्थिति एवं योग के प्रचार- प्रसार के लिए चित्रकला, वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता के लिए प्राचार्य उच्च शिक्षा, कार्यक्रम के प्रसारण एवं एलईडी की व्यवस्था के लिए खनिज अधिकारी, अतिथियों के लिए स्वलपाहार एवं विद्यार्थियों के लिए चाय व बिस्किट के लिए जिला आबकारी अधिकारी, कार्यक्रम स्थल पर पेयजल की व्यवस्था के लिए कार्यपालन यंत्री पीएचई, माइक व साउंड की व्यवस्था के लिए जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण और आमंत्रण, फ्लैक्स, अतिथि स्वागत एवं पौधरोपण की व्यवस्था के लिए आयुष विभाग को दायित्व सौंपे हैं।

डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का है पर्याप्त स्टॉक

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी नागरिकों को सूचित किया है कि जिले में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर विभिन्न माध्यमों से जो अफवाह एवं भ्रमित जानकारी प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि डीजल, पेट्रोल एवं एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में ऑयल कम्पनियों से जानकारी प्राप्त की गई है। ऑयल कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसकी नियमित आपूर्ति जारी है। जिले में किसी भी तरह की कोई कमी या आपात की स्थिति निर्मित नहीं है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने डीजल, पेट्रोल और एलपीजी ग्राहकों से अपील की है कि वे डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का अनावश्यक स्टॉक न रखें।

राज्य शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा: कलेक्टर

जरजोला-खमरिया में आयोजित हुआ शिविर

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

गत दिवस समीपी ग्राम जरजोला खमरिया मे आयोजित शिविर में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए जिले में 12 से 18 जून तक प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकायों में जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह शिविर तीन दिवसीय होंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। आयोजित शिविर में शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभांवित करने और नागरिकों की समस्याओं का निराकरण होगा। शिविर में विभागीय अधिकारियों के द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी देनी होगी और नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों का निराकरण करना होगा।

लगाए गए विभागीय स्टॉल

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह शुक्रवार को ग्राम जरजोला- खमरिया में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित कर रही थी। आयोजित शिविर में राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशु पालन विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, श्रम विभाग, खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा शासन की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे। शुक्रवार 12 जून को जनपद पंचायत नरसिंहपुर व नगर पालिका नरसिंहपुर, जनपद पंचायत गोटेगांव व नगर पालिका गोटेगांव, जनपद पंचायत चांवरपाठा और नगर पालिका गाडरवारा में शिविर आयोजित किए गए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आयोजित शिविर में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती, खाद एवं बीज वितरण तथा कृषि यंत्रों की जानकारी दी। जिससे किसान शासन की उक्त योजनाओं का लाभ उठा सकें। शिविर में आयुष्मान भारत, आयुष्मान मय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी एवं वीबी-जी-रामजी योजनाओं और अंतर्गत पंजीयन और सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। शिविरों में संबंधित विभागों के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई।

अतिक्रमण को हटाने के निर्देश

किसानों को शिविर में मृदा परीक्षण, जीवामृत बीजामृत, उद्यानिकी फसल तथा सब्जी की खेती करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिविर में स्वसहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में जानकारी दी। समूहों की महिलाओं को व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने के बारे में बताया गया। शिविर में स्वसहायता समूह के पंजीयन करने और समूहों के लिए बैंकों में खाते खुलवाने के बारे में जानकारी दी गई, जिससे समूह की महिलाएं लेन-देने का कार्य कर सके। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने शासकीय भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। इसके लिए राजस्व विभाग संबंधित विभागों की मदद लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा। राजस्व विभाग के द्वारा सीमांकन और बटवारा के प्रकरण, विवादित एवं अविवादित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने आयोजित शिविर में शासन की योजनाओं के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले हितग्राहियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए। जिससे लाभांवित हितग्राही अपनी सफलता की कहानी बता सके।

योजनाओं की दी गई जानकारी

जनकल्याण शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती धात्री महिलाओं और बच्चों को प्रदाय की जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए हितग्राहियों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के माध्यम से जनजातीय समुदायों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को फलों और सब्जी की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। जिससे किसान फलों और सब्जी की खेती कर अच्छी आमदानी कमा सके। शिविर में किसानों को दलहन फसलों की खेती करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

एन सी सी कमान अधिकारी का वार्षिक निरीक्षण सम्पन्न

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

गत दिवस 1 एम पी बटालियन एन सी सी जबलपुर के कमान अधिकारी कर्नल नितिन शर्मा ने नरसिंहपुर अंतर्गत एम आई एम टी कॉलेज नरसिंहपुर, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर में संचालित एन सी सी कंपनी एवं इकाइयों का वार्षिक निरीक्षण किया। कमान अधिकारी को एन सी सी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नल शर्मा से एम.आई. एम. टी. के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार गर्ग, डायरेक्टर एड. रचित तिवारी, एम. आई. एम. टी. लॉ कॉलेज, डॉ. आर.बी. सिंह प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज नरसिंहपुर तथा डॉ. अशोक उदेनिया प्रभारी प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर द्वारा सौजन्य भेंट की गई। एन.सी.सी. की ओर से कर्नल शर्मा को संस्थाओं में स्मृति चिन्ह प्रदान किये गये। एन सी सी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कर्नल शर्मा ने सतत अध्ययन एवं जीवन में सफल होने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। अग्निवीर, सैन्य अधिकारी तथा एन सी सी सर्टिफिकेट परीक्षाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। एशोसियेट एन सी सी ऑफिसर मेजर डॉ. पराग नेमा द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। लेफ्टि. डॉ. राजेश ठाकुर एवं सेकेण्ड ऑफिसर ए.एन. राव द्वारा एन.सी.सी. सत्र की जानकारी एवं कार्ययोजना पर प्रकाश डाला गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कमान अधिकारी ने प्रत्येक एन.सी.सी. संस्था परिसर में पौधारोपण किया। उक्त अवसर पर सी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण कैडेट्स को प्रमाणपत्र वितरित किये गये। सूबेदार मेजर नैरायण दास एवं सूबेदार गोपल सिंह सहित बड़ी संख्या में एन सी सी कैडेट्स उपस्थित रहे।

प्रेक्षक श्री तिवारी ने की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण की समीक्षा

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नियुक्त प्रेक्षक (सेवानिवृत्त आईएएस) अरूण तिवारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2026 और प्राप्त दावा-आपत्तियों की समीक्षा बैठक ली। आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती देवंती परते सहित सभी नगरीय निकायों व जनपद पंचायतों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद थे। प्रेक्षक श्री तिवारी ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के तहत प्राप्त दावा- आपत्तियों का केन्द्रवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार समय सीमा में सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करें। प्रेक्षक श्री तिवारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित पुनरीक्षण कार्य की अवधि 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। सभी जनप्रतिनिधि व मतदाताओं से अपील करें कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, पृथक कराने और आवश्यक संशोधन कराने के लिए 15 जून को अपरान्ह 3 बजे तक दावा-आपत्ति मतदान केन्द्रों में प्रस्तुत कर सकते हैं।

भव्य साइकिल रैली का आयोजन आज

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। *विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर जिला नरसिंहपुर में 13 एवं 14 जून 2026 को आयोजित होने वाले दो दिवसीय साइकिल महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जिला साइकिलिंग संघ नरसिंहपुर द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अस्मिता कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित इस आयोजन को लेकर 11 जून को आयोजन समिति की बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में प्रतिभागियों की व्यवस्था, रूट प्लान, सुरक्षा, प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। मध्यप्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत सिंह एवं सचिव भीष्म राजपूत के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहे इस महोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महोत्सव के प्रथम दिवस 13 जून को प्रातः 7 बजे भव्य साइकिल रैली आयोजित होगी, जिसमें जिले के खिलाड़ी, युवा एवं खेल प्रेमी शामिल होंगे। वहीं 14 जून को बालिका एवं महिला वर्ग की साइकिल रेस स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर चिनकी मार्ग से होते हुए पुनः स्टेडियम ग्राउंड में संपन्न होगी। साइकिल रैली एवं रेस को लेकर बालिकाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैदान पर खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। बालिकाओं में साइक्लिंग के प्रति बढ़ता जुनून, आत्मविश्वास और खेल भावना आयोजन को विशेष बना रही है। समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति ने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। यह साइकिल महोत्सव खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।*

बौछार पंचायत में नाली निर्माण से जल निकासी बाधित, ग्रामीण परेशान

गोटेगांव। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बौछार में नाली निर्माण के बाद जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा किए गए निर्माण कार्य से बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति बनने लगी है।ग्राम निवासी रामकुमार राय ने बताया कि उनके मकान के सामने पहले पानी की निकासी सुचारू रूप से होती थी, लेकिन पंचायत ने पुरानी निकासी व्यवस्था बंद कर सड़क खोदकर छोटा पाइप डाल दिया। पाइप का व्यास कम होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि घरों के सामने पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि सरपंच, सचिव और पंचायत के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर पुरानी निकासी बहाल करने अथवा पर्याप्त व्यास का पाइप डालने की मांग की है।

मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन से कुछ नहीं होगा, घर में बैठे माता पिता की सेवा कर लो जीवन सुधर जायेगा

तेंदूखेड़ा भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है अपने मन रुपी मंदिर में बैठे उस परमात्मा को पहचानलो मंदिर मस्जिद तीर्थ यात्रा पर जाने से कुछ नहीं होगा।घर में बैठे देव स्वरूप माता पिता की सच्चे मन से सेवा कर लो वही तो भगवान हैं। मंदिर बढ़ते चले जा रहे हैं कथायें बढ़ती चली जा रही है भक्ति बढ़ती चली जा रही है लेकिन भक्ति का मूल्य नहीं बढ़ पा रहा है।हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनें बैठें हैं।आज का आदमी सजाबट बनाबट और दिखाबट में ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा।जिस व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ होते हैं वह उतना ही ऊंचा ज्यादा है। पानी पृथ्वी आसमान और आदमी की तुलना करते हुए स्पष्ट किया कि सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। पानी ने कभी छुआछूत नहीं माना पृथ्वी ने कभी घमंड नहीं बताया आसमान में पिलर नहीं ईश्वर के भरोसे टिका हुआ है। लेकिन आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं आ रही है।इसी कारण से वह दुखी हैं। उक्त अमृत बचन देवरी राजमार्ग में चल रही श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के माध्यम से पं विपिन विहारी जी महाराज ने तीसरे दिन की कथा में व्यक्त किए।कथा श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोता पहुंच रहें हैं।

स्टेशन परिसर में गौवंश का जमावड़ा, यात्रियों को हो रही परेशानी

गोटेगांव।

श्रीधाम रेलवे स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर गौवंश का जमावड़ा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते प्लेटफॉर्म पर बैठे गौवंश के बीच से यात्रियों को आवागमन करना पड़ रहा है।यात्रियों का कहना है कि ट्रेन पकड़ने और उतरने के दौरान काफी दिक्कत होती है। भीड़भाड़ के समय छोटी-मोटी घटनाएं भी हो चुकी हैं। लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।रेल यात्रियों ने स्टेशन प्रबंधन से प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर से गौवंश को हटाने तथा स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद रेलवे और नगर प्रशासन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर
रा.मा.क्र./28 अ-20 (1) वर्ष 2026-27

सार्वजनिक उदघोषण

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नजूल शीट क्रमांक 1, नगरीय क्षेत्र का नाम कंदेली, प्लाट क्र. 2/24 रकवा 2400 वर्गफुट विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम/ पिता/ माता का नाम तथा पूर्ण नाम पता - जगदीश रघुवंशी आ. फूलसिंह रघुवंशी निवासी नेहरू वार्ड नरसिंहपुर उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम/पिता/ माता/ पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष मे प्रकरण विचाराधीन है - जगदीश रघुवंशी आ. फूलसिंह रघुवंशी निवासी नेहरू वार्ड नरसिंहपुर उक्त अनुसूची के अनुसार स्थायी पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 30/06/2026 को प्रात:11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हो या वैद्य प्रतिनिधी के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावे/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

इश्तेहार आज दिनांक 8/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा के अधीन जारी किया गया ।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर
रा.मा.क्र./0040/अ - 6 वर्ष 2025-26

सार्वजनिक उदघोषण

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नजूल शीट क्रमांक 1, नगरीय क्षेत्र का नाम कंदेली, प्लाट क्र. 2/14 रकवा 1980 वर्गफुट विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम/ पिता/ माता का नाम तथा पूर्ण नाम पता - अन्नीलाल पटेल आ. स्व. धीरज सिंह पटैल सा. कंदेली उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम/पिता/ माता/ पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष मे प्रकरण विचाराधीन है - साधना पटेल, संजय पटेल, संजीव पटेल, संगीता पटेल, सुनीता पटेल, संदीप पटेल पिसरान स्व. श्री अन्नीलाल पटैल सभी निवासी नेहरू वार्ड तहसील व जिला नरसिंहपुर उक्त अनुसूची के अनुसार फौती के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 30/06/2026 को प्रात:11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हो या वैद्य प्रतिनिधी के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावे/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

इश्तेहार आज दिनांक 12/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा के अधीन जारी किया गया ।

नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मुकेश कुमार उर्फ कमलेश नेमा उम्र 52 वर्ष आत्मज श्री भगवानदास नेमा निवासी 201, जय श्रीकृष्ण अपार्टमेंट 206 जवाहर मार्ग इंदौर जिला इंदौर के स्वामित्व की मौजा कंदेली (महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड अन्य शेष भाग) न.ब.36 प.ह.नं.41 रा.नि.मं. नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 35/5 रकवा 1.011 हे.में से 0.150 हेक्टर भूमि जिसके उत्तर में इकरारकर्ता की शेष भूमि, दक्षिण में इकरारकर्ता की भूमि, पूर्व में सुरेन्द्र वर्मा की इकरारशुदा भूमि, पश्चिम में इकरारकर्ता द्वारा छोड़ा गया रास्ता है, को श्री किशोर भाई धरमशीभाई बागडीया आत्मज श्री धरमशी भाई गोकल भाई बागडीया निवासी हाल मुकाम 347 अशोक नगर गली नंबर-3, इंदौर म.प्र.ने 6,00,000 रुपए में खरीदने का सौदा दिनांक 17.05.2017 को किया था परन्तु किशोरभाई धरमशीभाई बागडीया के द्वारा मेरे पक्षकार के बार बार कहने पर एवं मेरे पक्षकार से बार बार लिखापढ़ी की तिथि बढाते हुए समय लेने के पश्चात भी किशोरभाई धरमशीभाई बागडीया के द्वारा मेरे पक्षकार को शेष प्रतिफल की राशि अदा करके अपने खरचे पर बैनामा निष्पादित नहीं कराया गया है और किशोरभाई धरमशीभाई बागडीया के द्वारा इकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन किया है। चूँकि इकरारनामा की अवधि एवं लिखापढ़ी की तिथि बढाने हेतु जो संशोधन/ पूरक अनुबंध निष्पादित किए गए. उन सबकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इससे मेरा पक्षकार अब किशोरभाई धरमशीभाई बागडीया के हक में बैनामा निष्पादित करने लिये पाबंद नहीं है और मेरे पक्षकार ने जो अपनी ऊपर वर्णित अपनी जमीन को बेचने का सौदा किशोरभाई धरमशीभाई बागडीया से किया था, उक्त सौदे को मेरा पक्षकार निरस्त करता है और मेरा पक्षकार अपनी ऊपर वर्णित जमीन को किसी अन्य को विक्रय करने एवं विक्रय करने का अनुबंध करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा और मेरा पक्षकार किसी अन्य को विक्रय करने का अधिकारी रहेगा। इस आम सूचना के जरिये यह भी सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार ने जो अपनी वर्णित जमीन का सौदा निरस्त किया है, उसमें यदि किशोरभाई धरमशीभाई बागडीया को या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है या वह उक्त संपत्ति में अपना हित एवं दावा रखता है, तो वह इस आम सूचना प्रकाशित होने के 15 दिन अंदर मेरे कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति. दावा प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति, दावा अमान्य होगा, जिससे मेरा पक्षकार पाबंद नहीं रहेगा और मेरा पक्षकार अपनी उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने स्वतंत्र रहेगा। सूचना जानिए और अमल कीजिए।

स्थान - नरसिंहपुर
दिनांक 12-06-2026

लाल साहब पटैल एडव्होकेट,
बजरंग वार्ड कंदेली नरसिंहपुर

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मुकेश कुमार उर्फ कमलेश नेमा उम्र 52 वर्ष आत्मज श्री भगवानदास नेमा निवासी 201, जय श्रीकृष्ण अपार्टमेंट 206 जवाहर मार्ग इंदौर जिला इंदौर के स्वामित्व की मौजा कदेली (महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड अन्य शेष भाग) नं.बं.36 प.ह.नं.41 तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 35/5 रकवा 1.011 हे. में से 0.163 हेक्टर भूमि जिसके उत्तर में इकरारकर्ता की शेष भूमि, दक्षिण में जुम्मा मस्जिद कंदेली की भूमि, पूर्व में कल्पना नेमा की भूमि, पश्चिम में पराग नेमा की भूमि है, को श्री सुरेन्द्र वर्मा आत्मज श्री विशन स्वरूप वर्मा जाति सुनार निवासी 21, कालानी नगर बी.एस.एफ. पानी की टंकी के सामने नौकार रेसीडेन्सी इंदौर (म.प्र.) ने 7,00,000 रुपए में खरीदने का सौदा दिनांक 17.05.2017 को किया था परन्तु सुरेन्द्र वर्मा के द्वारा मेरे पक्षकार के बार बार कहने पर एवं मेरे पक्षकार से बार बार लिखापढी की तिथि बढ़ाते हुए समय लेने के पश्चात भी सुरेन्द्र वर्मा के द्वारा मेरे पक्षकार को शेष प्रतिफल की राशि अदा करके अपने खरचे पर बैनामा निष्पादित नहीं कराया गया है और सुरेन्द्र वर्मा के द्वारा इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया है। चूँकि इकरारनामा की लिखापढ़ी की अवधि समाप्त हो चुकी है। इससे मेरा पक्षकार अब सुरेन्द्र वर्मा के हक में बैनामा निष्पादित करने लिये पाबंद नहीं है और मेरे पक्षकार ने जो अपनी ऊपर वर्णित अपनी जमीन को बेचने का सौदा सुरेन्द्र वर्मा से किया था. उक्त सौदे को मेरा पक्षकार निरस्त करता है और मेरा पक्षकार अपनी ऊपर वर्णित जमीन को किसी अन्य को विक्रय करने एवं विक्रय करने का अनुबंध करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा और मेरा पक्षकार किसी अन्य को विक्रय करने का अधिकारी रहेगा। इस आम सूचना के जरिये यह भी सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार ने जो अपनी वर्णित जमीन का सौदा निरस्त किया है, उसमें यदि सुरेन्द्र वर्मा को या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है या वह उक्त संपत्ति में अपना हित एवं दावा रखता है, तो वह इस आम सूचना प्रकाशित होने के 15 दिन अंदर मेरे कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति, दावा प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति, दावा अमान्य होगा, जिससे मेरा पक्षकार पाबंद नहीं रहेगा और मेरा पक्षकार अपनी उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने स्वतंत्र रहेगा। सूचना जानिए और अमल कीजिए।

स्थान - नरसिंहपुर
दिनांक 12-06-2026

लाल साहब पटैल एडव्होकेट,
बजरंग वार्ड कंदेली नरसिंहपुर

मजदूरी से लौट रहे आदिवासी युवक से मारपीट एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग

गोटेगांव।

थाना क्षेत्र के ग्राम सिलारी निवासी एक आदिवासी युवक ने दबंगों पर मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।पीड़ित अमर सिंह ने बताया कि 9 जून को वह अपने साथियों विमलेश कोल और चंदन कोल के साथ जबलपुर से मजदूरी कर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी देवीसिंह लोधी और अखिलेश लोधी ने उसे रोककर जमीन विवाद को लेकर विवाद किया और कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठियों से हमला कर दिया।पीड़ित के अनुसार हमले में उसके कंधे और पसली में गंभीर चोटें आईं तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी घाव हुए हैं। आरोप है कि आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।अमर सिंह ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पुलिस ने प्रभावशाली आरोपियों के दबाव में गंभीर धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग की है।